

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ०प्र० शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 11 नवम्बर, 2013

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु विभिन्न अग्निशमन उपकरणों/वाहनों/संयंत्रों एवं मशीनों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि दैवी आपदाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 28 ग्रामीण तहसील मुख्यालयों को अग्निशमन व्यवस्था से सुदृढीकरण किये जाने हेतु उपकरणों, वाहनों एवं संयंत्रों के क्रय एवं निर्माण हेतु आप द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से कुल ₹0 9,61,80,000/- की धनराशि की स्वीकृति किये जाने की मांग की गयी है। अतः उक्त प्रयोजन हेतु आपके द्वारा मांग की गयी कुल धनराशि कुल ₹0 9,61,80,000/- का 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹0 4,80,90,000/- (रूपये चार करोड़ अस्सी लाख नब्बे हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचतें सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जाये।

4- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्तपुस्तिका/वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा। प्रमुख सचिव गृह विभाग, उ०प्र० शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

5- व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मंदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एल० वेंकटेश्वर लू)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-3402 रक (1)/1-10-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० फायर सर्विस इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/गृह (पुलिस) अनुभाग-2
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)

उप सचिव।